सं0–797/उन्तीस(2)/05–2(52पे0)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2005

विषयः–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद देहरादून की ढकरानी–ढालीपुर पेयजल योजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 395/अप्रैजल–देहरादून/दिनांक 07.09.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत जनपद देहरादून के ढ़करानी ढालीपुर पेयजल योजना के रू0 99.74 लाख के आगणन के टी0ए0 सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई रू0 87.90 (रू0 सत्तासी लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत के आगणन जिसमें सिविल कार्यो हेतु रू0 37.35 लाख एवं वि0यॉ0 कार्यो हेतु रू0 50.55 लाख सम्मिलित है, की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

कमश..2

(6) कार्य करने से पूर्व स्थल की भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाले सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) कार्यो में सैंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा।

(10) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार्य नहीं होगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–1893/XXVII(3)/2005 दिनांक 07 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0 1997 उन्तीस(2)–2(52पे0)/2005,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम अतिरिक्त प्रक्ल्प शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गई कटौतियों का विवरण नोट करने हेतु निर्देशित करें।
6. वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव